26.12.17 - वादी के वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1/1 उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2 के वकील उप. प्रतिवादी सं. 1/2 के सम्मन/तामिला वापस नहीं हुआ। गत सुनवाई पर उन्हें अंतिम अवसर दिया जा चुका है। वकील वादी ने एक मौका लाया। न्याय हित में उन्हें अंतिम अवसर दिया जाता। आगे कोई अवसर देय नहीं होगा। वादी के प्रतिवादी सं. 1/2 तथा प्र. 2 को पेश करें।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

20/03/18 वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी सं. 1/1 व प्रतिवादी सं 2 के वकील उपस्थित 1/2 की तलबी उमर तलबना वकील वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है आदेशिका की पालना हुक्मेशचीन वकी की जा रही है।

अतः वादी का वाद O-9R5 CPC में अदम पालना में खारिज किया जाता है।

पत्रावली कुमार फैसल नकल दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner